

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं० सं०-०३/निदे० (छात्रावास) विविध-६६-१२/२०१८ (खंड-१)- २७६

प्रेषक,
निदेशक

सेवा में,
सभी जिला कल्याण पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक-०९/०१/२०२६

विषय:-राज्य स्कीम के अन्तर्गत संकल्प सं०-११४३ दिनांक-१०.०५.२०१८ के आलोक में राज्य के अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण छात्रावासों में वर्तमान में नामांकित एवं आवासित छात्रबल के आलोक में छात्र/छात्राओं को खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) आपूर्ति योजना के तहत माह अक्टूबर, २०२५ से मार्च २०२६ तक कुल ६ माह के लिए खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) का उपावंटन।

प्रसंग-विशेष सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार का पत्रांक-१२६ दिनांक-०७.०१.२०२६

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य स्कीम के अंतर्गत संकल्प संख्या-११४३ दिनांक-१०.०५.२०१८ द्वारा राज्य के अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) की आपूर्ति करने की स्वीकृति दी गई है।

२-खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा कल्याण संस्थाओं एवं छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को अनुदानित (Subsidised) दर पर खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) की आपूर्ति करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत प्रत्येक छात्र/छात्राओं को प्रति माह १५ किलोग्राम की दर से खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) उपलब्ध कराया जा रहा है।

३-इसी क्रम में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-१२६ दिनांक-०७.०१.२०२६ (छायाप्रति संलग्न) द्वारा खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) का आवंटन उपलब्ध कराया गया है तथा जिलावार आवंटन निर्गत करते हुए जिला स्तरीय पदाधिकारियों को छात्रावासवार उपावंटन निर्गत करते हुए जिला प्रबंधको को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।

४-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-१२६ दिनांक-०७.०१.२०२६ के आलोक में संलग्न विवरणी-१ के अनुरूप खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) उपावंटित किया जाता है। आपूर्ति किए जाने वाले खाद्यान्न का भंडार पंजी में इन्द्राज किया जाएगा।

५-संबंधित छात्रावास अधीक्षक के पहचान पर योग्य लाभुकों के बीच खाद्यान्न आवंटित किया जायेगा।

6-किसी भी परिस्थिति में आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न का उठाव नहीं किया जाएगा तथा आवंटित खाद्यान्न का वितरण अक्टूबर, 2025 से मार्च 2026 तक ही किया जाएगा।

7-जिला कल्याण पदाधिकारी संबंधित छात्रावास अधीक्षक से वितरित किए गए खाद्यान्न की मात्रा की सूचना प्राप्त कर त्रैमासिक उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

8-कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,
26-01-26

निदेशक
दिनांक-09/01/2026

ज्ञापांक-03/निदे0 (छात्रावास)विविध-66-12/2018(खंड-I)-276
प्रतिलिपि-(1)महालेखाकार, वीरचन्द पटेल मार्ग, बिहार/सचिव, वित्त विभाग, बजट शाखा/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव/विशेष सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) महाप्रबंधक, जन वितरण, बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) (i) सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/संयुक्त सचिव/उप निदेशक (मु०)/सभी सहायक निदेशक (मु०)/प्रशाखा पदाधिकारी, बजट शाखा/सांख्यिकी कोषांग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ii) सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित उप विकास आयुक्त/सभी संबंधित उप निदेशक कल्याण/सभी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी संबंधित जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(iii) आई०टी० मैनेजर, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

26-01-26

निदेशक

ज्ञापांक-03/निदे0 (छात्रावास)विविध-66-12/2018(खंड-I)-276 दिनांक-09/01/2026
प्रतिलिपि:-सभी संबंधित छात्रावास अधीक्षक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26-01-26

निदेशक

Annexure- 1

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में आवासित छात्रबल के विरुद्ध खाद्यान्न की डोर स्टेप डिलीवरी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह अक्टूबर, 2025 से मार्च 2026 तक (प्रति माह) 6 माह का उपलब्ध खाद्यान्न का उपावर्तन।

क्र०सं०	जिला का नाम	छात्रावास	स्वीकृत छात्र/छात्राओं की संख्या	आवासित छात्र/छात्राओं की संख्या	खाद्यान्न का आवर्तन (प्रति माह) किलो ग्राम में		कुल मात्रा (किलो ग्राम में) (प्रति माह)
					चावल	गेहूँ	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Araria	3	125	125	1125.00	750.00	1875.00
2	Arwal	1	25	25	225.00	150.00	375.00
3	Aurangabad	1	50	50	450.00	300.00	750.00
4	Banka	4	200	200	1800.00	1200.00	3000.00
5	Begusarai	1	50	50	450.00	300.00	750.00
6	Paschim Champaran, Betiah	9	617	617	5553.00	3702.00	9255.00
7	Bhagalpur	7	550	550	4950.00	3300.00	8250.00
8	Bhojpur, Arah	6	475	475	4275.00	2850.00	7125.00
9	Buxar	2	250	250	2250.00	1500.00	3750.00
10	Darbhangha	6	575	550	4950.00	3300.00	8250.00
11	Gaya	4	300	290	2610.00	1740.00	4350.00
12	Gopalganj	2	75	75	675.00	450.00	1125.00
13	Jamui	5	300	300	2700.00	1800.00	4500.00
14	Jehanabad	2	300	300	2700.00	1800.00	4500.00
15	Kaimur	6	400	400	3600.00	2400.00	6000.00
16	Katihar	2	125	118	1062.00	708.00	1770.00
17	Kishanganj	2	200	200	1800.00	1200.00	3000.00
18	Madhepura	3	175	175	1575.00	1050.00	2625.00
19	Madhubani	1	50	50	450.00	300.00	750.00
20	Purbi Champaran, Motihari	2	100	100	900.00	600.00	1500.00
21	Munger	2	100	100	900.00	600.00	1500.00
22	Muzaffarpur	6	500	500	4500.00	3000.00	7500.00
23	Nalanda	3	350	350	3150.00	2100.00	5250.00
24	Nawada	5	475	415	3735.00	2490.00	6225.00
25	Patna	7	900	837	7533.00	5022.00	12555.00
26	Purnia	8	500	500	4500.00	3000.00	7500.00
27	Rohtas	8	400	350	3150.00	2100.00	5250.00
28	Saharsa	1	75	75	675.00	450.00	1125.00
29	Samastipur	12	1065	965	8685.00	5790.00	14475.00
30	Saran	1	150	150	1350.00	900.00	2250.00
31	Sheikhpura	1	25	25	225.00	150.00	375.00
32	Sitamarhi	7	525	525	4725.00	3150.00	7875.00
33	Siwan	6	300	274	2466.00	1644.00	4110.00
34	Supaul	3	225	225	2025.00	1350.00	3375.00
कुल:-		139	10532	10191	91719	61146	152865

पत्रांक- 276

दिनांक-09/01/2026 का अनुलग्नक।

निदेशक